

राजस्थान -सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक / नर्सिंग / नर्स-2 / एसीपी-पार्ट-3 / ए-3 / 2017 / 925

दिनांक:- 06/11/2017


आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14 (1) एफ.डी. (नियम)/2013-11 दिनांक 28.06.13 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नांकित नर्स-2 जिन्होंने 09, 18 एवं 27 वर्ष की राज्य सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से आशास्वित कैरियर प्रगति (एसीपी) स्वीकृत की जाती है -

क. स.	कर्मचारी का नाम एवं पद	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	दिनांक एवं पूर्ण सेवावधि	देय पे ब्रेन्ड/च. वेतनमान	देय पे ग्रेड
1	मेवाराम मीना	भरतपुर	08.04.08	08.04.17 09वर्ष	9300-34800	4800
2	हृदयेश	भरतपुर	08.04.08	08.04.17 09 वर्ष	9300-34800	4800
3	विनय प्रकाश मीना	भरतपुर	25.04.08	25.04.17 09वर्ष	9300-34800	4800
4	यज्ञप्रिय शर्मा	भरतपुर	01.04.08	01.04.17 09वर्ष	9300-34800	4800
5	विजय सिंह मीना	भरतपुर	03.04.08	03.04.17 9 वर्ष	9300-34800	4800
6	सूर्यकान्त	भरतपुर	02.04.08	02.04.17 9वर्ष	9300-34800	4800
7	नन्दकिशोर मीणा	टोंक	23.04.08	23.04.17 9वर्ष	9300-34800	4800
8	जोगाराम दुगेर	बाडमेर	18.09.96	18.09.14 18वर्ष	9300-34800	5400
9	मोवना राम	जालोर	22.04.08	22.04.17 9वर्ष	9300-34800	4800
10	भवंरसिंह चौहान	जालोर	13.07.90	13.07.17 27वर्ष	15600-39100	6000
11	राजेश कुमार राणा	जालोर	23.04.08	23.04.17 09वर्ष	9300-34800	4800
12	कमलेश मथुरिया	राजसमंद	01.04.08	01.04.17 09वर्ष	9300-34800	4800
13	हीरालाल सालवी	राजसमंद	05.04.08	05.04.17 9वर्ष	9300-34800	4800
14	प्रेम शंकर पुर्बिया	राजसमंद	01.04.08	01.04.17 9वर्ष	9300-34800	4800
15	भगवत सिंह मीणा	टोंक	21.06.08	21.06.17 09वर्ष	9300-34800	4800
16	हरीश चन्द शर्मा	भरतपुर	12.06.08	12.06.17 09वर्ष	9300-34800	4800
17	अवधेश कुमार शर्मा	भरतपुर	23.06.08	23.06.17 09वर्ष	9300-34800	4800
18	हजारीमल	बाडमेर	15.04.08	15.04.17 09वर्ष	9300-34800	4800
19	सकिना कोटेड	उदयपुर	27.10.98	27.10.16 18वर्ष	9300-34800	5400
20	चन्द्रशेखर नायक	उदयपुर	09.04.08	09.04.17 09वर्ष	9300-34800	4800

21	तुलसीराम सालवी	उदयपुर	05.04.08	05.04.17 09वर्ष	9300-34800	4800
22	दुष्यन्त त्यागी	उदयपुर	13.05.87	13.05.14 27वर्ष	15600-39100	6000

नोट:- 1. यदि किसी कार्मिक के दिनांक 1.6.2002 के पश्चात तीसरी संतान हुई है तो यह आदेश उन पर लागू नहीं हो



 (राकेश शर्मा)
 अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
 राजस्थान जयपुर।

क्रमांक / नर्सिंग / नर्स-2 / एसीपी-पार्ट-3 / ए-3 / 2017 / 925

दिनांक:- 06/11/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सम्बन्धित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन,।
2. सम्बन्धित अधीक्षक / मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
3. प्रभारी अधिकारी भ्रमणशील शल्य चिकित्सालय, ईकाई, भरतपुर।
4. सम्बन्धित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
5. संबंधित कार्मिक द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।
7. आदेश पत्रावली।


 (राकेश शर्मा)
 अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
 चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
 राजस्थान जयपुर।